INTERNATIONAL INSIGHTS
JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH

www.insightresearch.org.in
Multidisciplinary, Multi-Lingual, Peer Reviewed /Refereed
Open Access Journal
Volume-3, Issue 2, April-June 2026
ISSN : 3049-0847
IMPACT FACTOR : 7.725
https://doi.org/10.5281/zenodo.19849811

भारतीय श्रमिक : आर्थिक विकास का आधार

डॉ . मुस्तफा नवाज
असिस्टेंट प्रोफेसर (एल.एस.डब्लू)
शेरशाह कॉलेज , सासाराम

शोध सारांश : श्रम मनुष्य की आर्थिक एवं गैर–आर्थिक गतिविधियों की आधारशिला है। श्रम के बदौलत ही इंसान वैज्ञानिक और तकनीकी आविष्कारों से लेकर अंतरिक्ष, चाँद तथा मंगल ग्रह तक अपनी पहुँच बनाया हैं। भारत की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था के बावजूद यहाँ की व्यापारिक और औद्योगिक प्रतिष्ठा प्राचीन काल से ही विश्व प्रसिद्ध थी, लेकिन आधुनिक औद्योगीकरण की धीमी प्रगति ने श्रम शक्ति के विकास को सुस्त कर दिया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना द्वारा तीव्र औद्योगीकरण से श्रमशक्ति के विकास को गति मिली। भारत की तीव्र आर्थिक प्रगति ने इसे 2025 तक दुनियाँ की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया, लेकिन विकसित देशों की श्रेणी में आने के लिए अभी भी गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में निवेश, नवाचार को बढ़ावा, प्रौद्योगिकी का विकास, तथा समावेशी आर्थिक नीतियों के साथ–साथ कुशल श्रमशक्ति की आवश्यकता है। आधुनिक औद्योगीकरण से समाज में नए श्रमिक वर्ग का उदय हुआ जो उत्पादन का प्रमुख एवं गतिशील साधन है, जिसमें सौदेबाजी की शक्ति, अशिक्षा एवं अज्ञानता जैसी अनेक विशेषताएँ विद्यमान रहती हैं, जिसके कारण भारतीय श्रमिकों की उत्पादकता अपेक्षाकृत कम है। श्रम–उत्पादकता में वृद्धि और प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग से पूँजी–निर्माण को बढ़ावा तथा देश की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। प्रौद्योगिकी, कौशल विकास, प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, नवाचार और आर्थिक प्रोत्साहन के माध्यम से श्रमिकों की उत्पादकता में वृद्धि कर देश के आर्थिक विकास को प्रशस्त किया जा सकता है। भारतीय श्रमिक देश के आर्थिक विकास के आधार स्तम्भ हैं, जो उत्पादन के निष्क्रिय साधनों को सक्रिय कर कृषि, उद्योग तथा सेवा क्षेत्र का विकास सुनिश्चित कर भारत को विकास के शिखर पर पहुँचाने के लिए कटिबद्ध हैं। डिजिटल तकनीकी कौशल वाले कार्यबल का भविष्य कृषि, उद्योग तथा सेवा क्षेत्रों में उत्साहवर्धक तथा सुनहरा होगा, जहाँ सॉफ्ट स्किल्स, संचार कौशल, क्रिटिकल थिंकिंग जैसे कैरियर स्किल्स उन्हें प्रासंगिक बनाए रखेंगे।

कुँजी शब्द : श्रमिक, आधारशिला, अर्थव्यवस्था, सकल घरेलू उत्पाद, उत्पादकता, प्रबंधन, प्रौद्योगिकी, डिजिटल लिटरेसी, भ्रष्टाचार, संभावनाएँ।

प्रस्तावना : आदिकाल से श्रम मनुष्य की आर्थिक एवं आर्थिकेत्तर क्रिया–कलापों की आधारशिला है। यह उत्पादन का सबसे महत्त्वपूर्ण एवं जीवंत साधन है, जो उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का उपभोग कर स्वयं साध्य भी बन जाता है। उत्पादन के चार मूलभूत साधन–भूमि, श्रम, पूँजी एवं संगठन हैं, जिनमें पूँजी या संगठन के बिना उत्पादन संभव है, परन्तु श्रम के बिना किसी भी भौतिक वस्तु का उत्पादन नहीं किया जा सकता है। मानव जीवन का कोई भी ऐसा पहलू नहीं है, जिस पर श्रम का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ता हो। यह मनुष्य के आर्थिक जीवन के साथ–साथ उसके सामाजिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक तथा सांस्कृतिक जीवन को भी प्रभावित करता है एवं राष्ट्र की आर्थिक उन्नति को नयी दिशा प्रदान करता है। श्रम ही प्राचीन काल से वैज्ञानिक और तकनीकी आविष्कारों का आधार रहा है। इसी के बदौलत आज इंसान धरती से अंतरिक्ष, चाँद तथा मंगल ग्रह तक अपनी पहुँच बना सका है। अपनी कुशल एवं प्रशिक्षित श्रम–शक्ति के कारण ही संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, फ्रांस, इटली इत्यादि देशों के आर्थिक अभ्युदय का मार्ग प्रशस्त हुआ।

आरंभ से कृषि प्रधान देश होने के बावजूद कलात्मक तथा आकर्षक वस्तुओं के उत्पादन में विश्व में भारत का एक लम्बी अवधि तक एकाधिकार रहा है। व्यापार तथा उद्योगों के क्षेत्र में भी भारत की ख्याति पराकाष्ठा पर थी, परन्तु परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण 19वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में आधुनिक औद्योगीकरण की धीमी प्रगति ने श्रम–शक्ति के विकास को मंद कर दिया था। पी. सी. महालनोबिस मॉडल पर आधारित द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1956–1961) के द्वारा तीव्र औद्योगीकरण से रोजगार के अवसरों का विस्तार कर श्रम शक्ति के विकास को गति देने का प्रयास प्रारंभ हुआ, जिसको मनमोहन सिंह–नरसिम्हा राव के आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण ने धारदार अथवा प्रखर किया। जहाँ 1921 में 14 लाख तथा 1951 में 29.1 लाख श्रम शक्ति भारतीय अर्थव्यवस्था को गति प्रदान कर रहे थे, वहीं 1991 में कुल श्रमिकों की संख्या 31.8 करोड़ पहुँच

गई, जिसमें 28.7 करोड़ मुख्य श्रमिक तथा 3.1 करोड़ सीमान्त श्रमिक थे। आर्थिक सर्वेक्षण 2024–25 के आँकड़ों के अनुसार भारत में कुल श्रमशक्ति या कार्यबल 60.7 करोड़ है। इस विशाल श्रमशक्ति को संतुलित करने के लिए प्रतिवर्ष लगभग 78.5 लाख गैर–कृषि नई नौकरियों या रोजगार की आवश्यकता पड़ेगी जो वर्तमान सरकार के सामने एक प्रमुख चुनौती है। यदि इस चुनौती को सरकार अवसर में बदल देती है, तो देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में यह एक युगांतकारी कदम सिद्ध होगा। सन् 1991 के आर्थिक सुधारों से सेवा क्षेत्र में तीव्र वृद्धि हुई जो रोजगार का एक बड़ा स्रोत बन गया और देश आर्थिक विकास के मार्ग पर दौड़ने लगा। भारत के भूतपर्व राष्ट्रपति और 'मिसाइल मैन' के नाम से प्रसिद्ध भारत रत्न डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम के सपने को मूर्त रूप प्रदान करने हेतु प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा वर्तमान में भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसे प्राप्त करने के लिए नेतृत्व, जनभागीदारी तथा नवाचार द्वारा लगातार आर्थिक एवं सामाजिक सुधारों की जरूरत है। भारत विश्व की सर्वाधिक विकास दर वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है जो 2025 तक सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी) के आधार पर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और क्रय शक्ति समता के आधार पर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, परन्तु विकसित देशों की श्रेणी में आने के लिए अभी और सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में निवेश, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, नवाचार को बढ़ावा, प्रौद्योगिकी का विकास, भ्रष्टाचार पर अंकुश तथा समावेशी आर्थिक नीतियों के साथ–साथ प्रशिक्षण द्वारा कुशल श्रम की आवश्यकता पड़ेगी ताकि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि और समस्त नागरिकों का जीवन–स्तर ऊँचा हो सके।

श्रम–उत्पादकता :

श्रम अर्थशास्त्र में श्रम–उत्पादकता शब्द का प्रयोग जितना अधिक है, इसकी अवधारणा उतनी ही अस्पष्ट या जटिल हैं। यह किसी संगठन या अर्थव्यवस्था में श्रमिकों की दक्षता और उत्पादन को इंगित करती है तथा श्रमिकों द्वारा प्रति इकाई उत्पादित वस्तुओं या सेवाओं की मात्रा को मापती है। किसी देश या व्यवसाय के आर्थिक विकास का सर्वाधिक प्रमुख कारक श्रम–उत्पादकता ही है। इसे उत्पादन और श्रम–निवेश का अनुपात भी कहा जाता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि श्रम–उत्पादकता उत्पादन की वह मात्रा है जिसे एक नियोजित श्रमिक इकाई समय (प्रति घण्टा अथवा प्रतिदिन) में उत्पादित करता है।

उत्पादकता का विचार अपने महत्त्व के कारण औद्योगिक जगत में नयी चेतना का संचार किया है। यह विकासशील देशों में प्रगति का मूलमंत्र तथा विकास का केन्द्रविन्दु है। एक बार श्री गुलजारीलाल नन्दा ने कहा था– औद्योगिक उत्पादकता औद्योगिक प्रगति का पर्याय है तथा विश्व के विकसित देशों की आर्थिक प्रगति का एक मात्र कारण इनकी उच्च स्तरीय औद्योगिक उत्पादकता ही है। श्री नन्दा के विचारों का समर्थन करते हुए क्लेग ने कहा था कि अमेरिकावासियों के रहन–सहन का उच्च स्तर उनकी उच्च उत्पादकता का प्रत्यक्ष परिणाम है। यहीं कारण है कि आजकल श्रम–उत्पादकता एवं पूँजी की उत्पादकता सहित उत्पादन के समस्त साधनों की उत्पादकता को बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया जाता है। प्रति श्रमिक एवं प्रति इकाई पूँजी की उत्पादकता को बढ़ाकर पूँजी–निर्माण को बढ़ाया जा सकता है, ताकि आर्थिक विकास को तीव्र गति प्रदान की जा सके। उत्पादन के विभिन्न साधनों की उत्पादकता को बढ़ाकर मूल्यों को नियंत्रित तथा मुद्रा स्फीति की समस्या का समाधान किया जा सकता है। आधुनिक भारत के निर्माताओं ने पंचवर्षीय योजनओं में कृषि, उद्योग तथा सेवा क्षेत्रों में प्रति श्रमिक उत्पादकता में वृद्धि के महत्त्व को स्वीकार किया है। श्रमिकों की उत्पादकता पर मानवीय व्यवहार का सर्वाधिक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है।

भारत GDP के आधार पर अमेरिका, चीन तथा जर्मनी के बाद दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था तथा क्रय शक्ति समता के आधार पर चीन और अमेरिका के बाद तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, परन्तु 146 करोड़ जनसंख्या के कारण प्रति व्यक्ति आय का निम्न स्तर विकसित देशों की तुलना में इसे अभी भी एक पिछड़ा हुआ देश बनाकर रखा है। यदि उत्पादकता को बढ़ाकर देश के प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग किया जाए तो उत्पादन की मात्रा में वृद्धि और आयात पर हमारी निर्भरता कम होगी तथा पूँजी–निर्माण को बढ़ावा मिलने से देश की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। भारतवासियों का जीवन–स्तर अभी भी निम्न श्रेणी का है। उत्पादकता में वृद्धि से श्रमिकों के आय में वृद्धि होगी तथा उनके जीवन स्तर में सुधार होगा और उत्पादक को भी अपनी पूँजी पर समुचित प्रतिफल मिलेगा। व्यापार घाटा को नियंत्रित करने तथा विदेशी बाजारों में अपना स्थान बनाकर आर्थिक विकास की गति को तीव्र करने हेतु उत्पादकता में वृद्धि अपरिहार्य हो जाती है। वैसे भी भारत में पूँजी निर्माण का अभाव है। इसलिए हमें अपनी सीमित संसाधनों से अधिकतम उत्पादन द्वारा वस्तुओं की माँग और पूर्ति में संतुलन तथा उत्पादन लागत में कमी लाने हेतु श्रम एवं पूँजी की उत्पादकता में वृद्धि करना होगा ताकि कम लागत पर अधिक वस्तुएँ एवं सेवाएँ उत्पादित की जा सके। उत्पादकता में वृद्धि होने से श्रमिकों की आय में वृद्धि, कार्य के घण्टों में कमी तथा श्रम कल्याण कार्यों में वृद्धि होती है, जो विदेशी उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा, देश की सुरक्षा तथा अर्थव्यवस्था की मजबूती में सक्षम बनाता है।

श्रम–उत्पादकता के निर्धारक तत्त्व :

किसी भी देश का उत्पादन श्रमिकों की संख्या तथा कार्य के घण्टों के अतिरिक्त उनकी कार्य क्षमता पर निर्भर करता है। उसके श्रमजीवी जितने अधिक कार्यक्षम होंगे, राष्ट्रीय उत्पादकता भी उतनी ही अधिक होगी। वास्तव में, श्रम–उत्पादकता श्रमिक के कार्य करने की शक्ति तथा कार्य करने की इच्छा पर निर्भर करती है। श्रम–उत्पादकता को निर्धारित करने वाले प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं, जिनमें सुधार द्वारा भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाया जा सकता है :

1. नियोजित पूँजी की मात्रा :

श्रम–उत्पादकता को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में पूँजी का सर्वाधिक महत्त्व है, क्योंकि पूँजी ही श्रमिकों के लिए बेहतर मशीन, डिजिटल उपकरण तथा सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराकर उनके शारीरिक श्रम को कम तथा उत्पादन की गति को तेज करती है। श्रमिकों के प्रशिक्षण एवं कौशल विकास में पूँजी के निवेश से उनकी कार्यक्षमता तथा तकनीकी दक्षता में वृद्धि श्रमिकों की उत्पादकता के साथ–साथ उत्पाद की गुणवत्ता को भी बढ़ाती है। साथ ही पुराने मशीनों की जगह स्वचालित मशीन में अधिक पूँजी निवेश से श्रम–उत्पादकता में अत्यधिक वृद्धि होती है। पूँजी निवेश से कार्य की भौतिक दशाओं तथा श्रम–कल्याण कार्यों में सुधार द्वारा श्रमिकों के मनोबल तथा प्रति घण्टा उत्पादन दर में वृद्धि द्वारा भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है।

2. यंत्रीकरण की मात्रा :

उत्पादन में अत्याधुनिक यंत्रों का विशेष महत्त्व है। पुराने जर्जर मशीनों की जगह जहाँ तकनीकी रूप से अधिक विकसित मशीन लगे हैं, वहाँ श्रमिकों की उत्पादकता भी अधिक है। भारत में जहाँ कृषि की परम्परागत पद्धति अपनायी जाती है, वहाँ कृषि उत्पादन आज भी कम है, लेकिन जिन जगहों पर कृषि में मशीनों या स्वचालन का प्रयोग होता है, वहाँ उत्पादन एवं उत्पादकता के क्षेत्र में आशातीत या क्रांतिकारी परिवर्तन दिखता है। ट्रैक्टर, रोटोवेटर, हार्वेस्टर तथा कम्बाइन जैसे अत्याधुनिक कृषि यंत्रों के समुचित प्रयोग एवं प्रबंधन से समय एवं श्रम की काफी बचत तथा कृषि लागत में आशातीत कमी आती है। साथ ही नई तकनीक वाले मशीनों से फसल की कटनी और दौनी करने के कारण उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ती है। इस प्रकार कृषि में यंत्रों का उपयोग खेती को सरल बनाता है तथा कृषकों को बेहतर आमदनी और आर्थिक स्थिरता प्रदान करता है। आज भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा कृषि उत्पादक देश है और दूध, दलहन, आम, केला, पपीता, नींबू ,जूट और बाजरा के उत्पादन में एकाधिकार रखता है। साथ ही मच्छली, चावल, गेहूँ ,गन्ना, कपास, चाय, सब्जियाँ और मूँगफली उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है जो कृषि के यंत्रीकरण का सुफल है।

3. उत्पादन प्रक्रिया :

श्रम–उत्पादकता के निर्धारण में उत्पादन प्रक्रिया का महत्त्वपूर्ण योगदान रहता है। उत्पादन प्रक्रिया औद्योगिक अथवा कृषि के यंत्रीकरण की मात्रा पर निर्भर करती है। उत्पादन प्रक्रिया में विकसित तथा अत्याधुनिक स्वचालित मशीनों के प्रयोग से श्रम–उत्पादकता के स्तर को ऊँचा किया जा सकता है। इन्हीं कारणों से आज–कल उत्पादकता वृद्धि हेतु उत्पादन प्रक्रिया में सुधार पर विशेष बल दिया जाता है। इस प्रक्रिया में नई मशीनों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स का प्रयोग दोहराए जाने वाले कार्यों को स्वचालित कर देता है जिसके कारण श्रमिकों का परिश्रम कम और उत्पादन की गति बढ़ जाती है। सुव्यवस्थित वर्कफ्लो और कर्मचारियों का समुचित प्रशिक्षण अपव्यय कम करता है, मशीनों में अचानक रूकावट (डाउनटाइम) को घटाता है तथा श्रमिकों को कम समय में अधिक उत्पादन करने में सक्षम बनाकर श्रम–उत्पादकता में वृद्धि करता है, जो भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने में सहायक सिद्ध होगा।

4. प्रबंधकीय कौशल :

श्रम–उत्पादकता और प्रबंधकीय कौशल के बीच सीधा समानुपातिक सम्बंध होता है। पर्याप्त पूँजी, अत्याधुनिक तकनीक तथा कुशल श्रमिकों के बावजूद कई प्रतिष्ठानों में पूँजी तथा यंत्रीकरण की मात्रा कम होने के बावजूद प्रबंधकों के सूझ–बूझ से श्रम–उत्पादकता में अप्रत्याशित वृद्धि देखी जाती है। इस प्रकार श्रम–उत्पादकता प्रबंधकीय कौशल पर भी निर्भर करती है। एक कुशल प्रबंधक श्रम सहित उत्पादन के अन्य साधनों का, मानवीय मूल्यों के महत्त्व को स्वीकार करते हुए विवेकपूर्ण और प्रभावी प्रयोग से अधिक से अधिक उत्पादकता सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। प्रबंधन कौशल आर्टिफिशियल इटेलिजेंस, डिजिटल टूल्स तथा रोबोटिक्स जैसे 21वीं सदी के तकनीक तथा संसाधनों के अधिकतम उपयोग द्वारा समय, सामग्री, ऊर्जा अपव्यय एवं उत्पादन लागत में कमी लाकर तथा प्रशिक्षण एवं कौशल उन्नयन द्वारा कर्मचारियों की कार्य दक्षता बढ़ाकर श्रम–उत्पादकता एवं गुणवत्तापूर्ण उत्पादन को बढ़ाता हैं। साथ ही नई श्रम संहिताओं को निष्पक्ष रूप से लागू करके तथा श्रमशक्ति की क्षमता को बढ़ाकर समावेशी और टिकाऊ आर्थिक विकास द्वारा विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है।

5. कार्य की भौतिक दशाएँ :

श्रम–उत्पादकता पर कार्य की भौतिक दशाओं का सीधा प्रभाव पड़ता है। कारखानों या प्रतिष्ठानों में प्रकाश की समुचित व्यवस्था, उचित तापमान, रोशनदान, स्वच्छता, धूल–धुआँ प्रबंधन, स्वच्छ पेयजल, शौचालय एवं मूत्रालय वहाँ स्वस्थ एवं स्वच्छ वातावरण बनाकर श्रमिकों की कार्य कुशलता को बढ़ाते हैं। साथ ही अनुकूल भौतिक दशाओं में श्रमिक अपना कार्य सहजता पूर्वक करते हैं जिससे उनकी उत्पादकता में आशातीत वृद्धि होती है। इसके विपरीत कार्य की दुष्कर भौतिक दशाओं का श्रमिकों की उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अत्यधिक तापमान उच्च आर्द्रता, बर्नआउट, कम प्रकाश, धूल–धुआँ की अधिकता से शारीरिक कार्य करने में परेशानी होती है जिससे श्रमिकों की उत्पादकता घट जाती है।

6. कार्य के घण्टे :

औद्योगीकरण के प्रारंभिक चरणों में नियोजक उत्पादन में वृद्धि हेतु अपने श्रमिकों से अधिक अवधि तक कार्य लेते थे। वे इस सच्चाई से अनभिज्ञ थे कि अत्यधिक घण्टों तक लगातार कार्य लेने से उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है और अन्ततः उनकी उत्पादकता में ह्रास होता है। आज अनेक प्रयोगों तथा सर्वेक्षणों से स्पष्ट हो गया है कि श्रमिकों से निरंतर अधिक घण्टों तक कार्य लेने से उनकी उत्पादकता बढ़ने की बजाय घटने लगती है। आज सभी नियोजक महसूस करने लगे हैं कि समुचित कार्य विधि से ही श्रमिकों की उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है। साथ ही विश्व के लगभग सभी देशों में औद्योगिक श्रमिकों के लिए कार्य के अधिकतम दैनिक एवं साप्ताहिक घण्टे के साथ–साथ विश्रामावकाश तथा साप्ताहिक अवकाश की व्यवस्था भी विधि द्वारा कर दी गई है। भारत के उद्योगों एवं प्रतिष्ठानों में कार्य करने वाले श्रमिकों से सामान्य परिस्थिति में प्रतिदिन अधिकतम नौ घण्टे तथा प्रति सप्ताह 48 घण्टे से अधिक कार्य नियोजक द्वारा नहीं लिया जाएगा। बहुत अधिक घण्टों तक लगातार कार्य करने से थकान–तनाव तथा गलतियों में वृद्धि होने से श्रमिकों की उत्पादकता कम होने लगती है और उनका स्वास्थ्य तथा मनोबल गिरने लगता है, जबकि काम के घण्टे कम होने पर बेहतर स्वास्थ्य, उच्च मनोबल तथा एकाग्रता कार्य की गुणवत्ता एवं श्रमिकों की उत्पादकता को बढ़ाकर श्रमिकों के कल्याण के साथ–साथ नियोजक को भी लाभ पहुँचाते हैं, जिससे अन्ततः देश का विकास संभव होता है।

7. शक्ति एवं कच्चे माल की आपूर्ति :

श्रम–उत्पादकता शक्ति एवं कच्चे माल की नियमित आपूर्ति पर भी निर्भर करती है। यद्यपि भारत अक्टूबर 2025 तक 505 गीगावाट उत्पादन क्षमता के साथ विश्व का तीसरा सबसे बड़ा बिजली उत्पादक देश है, तथापि देश के कई भागों में बिजली की अनियमित आपूर्ति आज भी उत्पादकता वृद्धि में बाधक है। इसी प्रकार कच्चे माल की प्रचूरता तथा गुणवत्ता भी श्रम–उत्पादकता को प्रभावित करती हैं। प्रचूर मात्रा में कच्चे माल की उपलब्धता उत्पादन लागत को कम करती है तथा उच्च गुणवत्ता वाले कच्चे माल से उत्कृष्ट कोटि का उत्पाद प्राप्त होता है जो श्रमिकों के मनोबल और उत्पादकता को बढ़ाता है।

8. सामिप्य प्रभाव :

श्रम–उत्पादकता के निर्धारक कारकों में सामिप्य प्रभाव का भी महत्त्वपूर्ण स्थान है। जब किसी क्षेत्र विशेष के अधिकांश प्रतिष्ठानों में श्रम–उत्पादकता का स्तर निम्न होता है, तो उस क्षेत्र के उच्च श्रम–उत्पादकता वाले प्रतिष्ठानों के श्रमिक अपनी उत्पादकता के प्रति उदासीन होने लगते हैं और उनकी भी उत्पादकता कम हो जाती है। इसके विपरीत उच्च श्रम–उत्पादकता वाले प्रतिष्ठानों के समीप स्थित निम्न उत्पादकता वाले प्रतिष्ठानों के श्रमिक सामिप्य प्रभाव या सुसंगति के कारण अपनी भी उत्पादकता बढ़ाने हेतु प्रयत्न करने लगते है। इस प्रकार भारत के कई उद्योगों, प्रतिष्ठानों या फर्मो में सामिप्य प्रभाव के कारण श्रमिकों की उत्पादकता में कमी या वृद्धि देखी जाती है।

9. सामाजिक एवं राजनीतिक दशाएँ :

श्रम–उत्पादकता के निर्धारक तत्त्वों में सामाजिक एवं राजनीतिक दशाएँ भी शामिल हैं। राजनीतिक संघर्ष, सामाजिक असंतोष, श्रम–संघ प्रतिद्वंद्विता, औद्योगिक अशांति तथा पारस्परिक मतभेद का वातावरण श्रम–उत्पादकता को कम कर देते हैं, जबकि देश में राजनीतिक स्थिरता, शान्ति, सौहार्द, महिला भागीदारी, कार्य के प्रति निष्ठा, कुशल शासन, उच्च जीवन–स्तर, समावेशी नीतियाँ, औद्योगिक शांति, शिक्षा एवं प्रशिक्षण, कानून–व्यवस्था इत्यादि श्रमिकों के कौशल, आत्मविश्वास, मनोबल तथा कार्यस्थल के वातावरण को बेहतर बनाकर श्रमिकों की कार्यक्षमता तथा उत्पादकता को बढ़ाते हैं, जिससे भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का मार्ग प्रशस्त होता है।

10. श्रम संघ :

औद्योगिक संस्थानों के प्रति श्रम संघों की मानसिकता और गतिविधि का प्रभाव भी श्रम–उत्पादकता पर पड़ता है। उद्योगों के प्रति श्रम संघों का नकारात्मक व्यवहार श्रम उत्पादकता का ह्रास करता है। जिन औद्योगिक संस्थानों

एवं प्रतिष्ठानों में श्रम संघ तथा प्रबंधन के बीच बेहतर सम्बंध होते हैं या प्रबंधन में श्रमिकों की वास्तविक सहभागिता होती है, वहाँ दोनों पक्ष उद्योग की सफलता के लिए एक–दूसरे का सहयोग करते हैं। श्रम संघ श्रमिकों एवं प्रबंधन के बीच सेतु का काम करते हैं जिससे श्रम–समस्याओं का समाधान त्वरित होता है। साथ ही श्रमिकों को उचित वेतन, कार्य की अच्छी दशाएँ, सुरक्षा तथा कौशल विकास का अवसर मिलता है जिससे श्रमिकों की कार्यक्षमता एवं मनोबल में आशातीत वृद्धि होती है। श्रम संघ संकट काल में भी अपने श्रमिकों को अभिप्रेरित कर औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने में सहयोग करते हैं, औद्योगिक विवादों को सुलझाते हैं, श्रम संहिता के अनुपालन को सरल बनाते हैं, श्रमिक टर्नओवर को कम करते हैं, जिससे उत्पादकता में वृद्धि होती है तथा औद्योगिक शांति स्थापित होती है, जिससे नियोजकों को लाभ मिलता है। इस प्रकार श्रम संघ श्रम–उत्पादकता, औद्योगिक शांति तथा श्रमिकों का कौशल विकास करके तथा सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित कराकर श्रमिकों के कल्याण के साथ–साथ नियोजक एवं देश के आर्थिक विकास में मदद करते हैं, जिससे भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का रास्ता साफ होगा।

11. श्रमिकों की योग्यता एवं कौशल :

श्रम–उत्पादकता प्रत्यक्ष रूप से श्रमिकों की योग्यता एवं कौशल जैसे आंतरिक तत्त्वों पर निर्भर करती है। कुशल एवं अपने कार्य में निपुण श्रमिक अत्याधुनिक तकनीक एवं डिजिटल उपकरणों का बेहतर उपयोग कर उत्पादन प्रक्रिया तीव्र तथा सुचारू बनाते हैं। वे उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों का उत्पादन कर उसका मूल्यवर्द्धन करते हैं। उच्च योग्यताधारी श्रमिक समस्या समाधान तथा उत्पादन प्रक्रिया में सुधार हेतु नवीन उपाय की खोज करते है। साथ ही प्रशिक्षण के माध्यम से तकनीकी कौशल में नियमित सुधार से श्रमिकों के मनोबल तथा कार्यक्षमता में वृद्धि होती है और श्रम–उत्पादकता बढ़ जाती है जो राष्ट्र के आर्थिक विकास का इंजन है। यही कारण है कि कार्य की प्रकृति के अनुरूप सबसे योग्य एवं अन्तर्जात सामर्थ्य वाले उपयुक्त व्यक्ति का चयन तथा उनके प्रभावी प्रशिक्षण पर विशेष बल दिया जाता है और श्रमिकों के उच्च जीवन स्तर, स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा कल्याण सुविधाओं की व्यवस्था की जाती है क्योंकि महात्मा गाँधी के अनुसार संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक हैं।

12. कार्य में अभिरुचि :

यह श्रमिकों की उत्पादकता को निर्धारित करने वाली आंतरिक गुण है, जो एक साधारण श्रमिक को कुशल एवं उच्च उत्पादक श्रमिक में बदल देती है। जिस श्रमिक को अपने कार्य में अभिरुचि होती है, वह अत्यधिक एकाग्रता, कम थकान तथा बेहतर कौशल से अपने कार्य की गति एवं उत्पादन को बढ़ा देता है। अभिरूचि से प्रेरित श्रमिक की उत्पादकता उच्च तथा गुणवत्तापूर्ण होती है, क्योंकि वह कम गलतियाँ, उपयुक्त नवाचार तथा पूर्ण कार्यक्षमता के साथ कार्य को संपादित करता है। स्वनियोजित व्याक्तियों जैसे किसान, लघु व्यवसायों तथा कुटीर उद्योगों के मालिक, कारीगर तथा दुकानदार को अपने कार्य में गहरी अभिरुचि के कारण उनकी उत्पादकता अपेक्षाकृत अधिक होती है। यही कारण है कि अभिरुचि से प्रेरित व्यक्ति आत्म–विकास के साथ–साथ औद्योगिक तथा देश के आर्थिक विकास में अधिक योगदान करता है।

श्रमिकों की उत्पादकता बढ़ाने हेतु प्रमुख उपाय :

भारतीय उद्योगों में उत्पादकता आंदोलन को प्रोत्साहित करने के लिए 1958 में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद का गठन एक स्वायत्त संस्था के रूप में किया गया, जिसमें सरकार, नियोजक एवं श्रमिकों के प्रतिनिधियों के अतिरिक्त व्यावसायिक संघों तथा अखिल भारतीय महिला महासभा के प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं। देश के आर्थिक विकास में कृषि, उद्योग तथा सेवा क्षेत्र में उत्पादकता एवं गुणवत्ता के महत्त्व को ध्यान में रखकर भारत सरकार द्वारा 1966 ,1970 तथा 1982 को उत्पादकता वर्ष घोषित किया गया था। वर्तमान में प्रतिवर्ष 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस तथा 12 से 18 फरवरी तक राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह मनाया जाता है। भारत में श्रम–उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रमुख सुझाव निम्नवत् है :

1. प्रौद्योगिकी के साथ एकीकरण :

भारत में कृषि, उद्योग तथा सेवा क्षेत्रों में रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा डिजिटल उपकरण के प्रयोग की अपार संभावनाएँ हैं। मशीने इनके उपयोग से दोहराव वाले कार्यों को सटीक तथा तीव्र गति से सम्पन्न करती हैं, जिससे बचे हुए समय का उपयोग श्रमिक जटिल समस्याओं के समाधान में कर सकते हैं। साथ ही समय–समय पर नई विधियों एवं मशीनों को अपग्रेड तथा तकनीकों को अपडेट और इसी के अनुरूप श्रमिकों के कौशल का विकास आवश्यक है ताकि उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि हो सके। आज किसी भी क्षेत्र में एप्स तथा वेब इण्टरफेस से उत्पादकता पर नजर रखी जा सकती है तथा प्राप्त डेटा का विश्लेषण कर मौजूद तकनीक के प्रयोग से श्रम एवं पूँजी की उत्पादकता रियल टाइम में बढ़ाकर श्रमिकों, नियोजकों तथा देश का आर्थिक विकास सुनिश्चित किया जा सकता है।

2. कौशल विकास :

प्रशिक्षित एवं अपने कार्य में निपुण कर्मचारी कम गलतियाँ तथा बेहतर प्रदर्शन करते हैं। प्रशिक्षित और अभिप्रेरित कर्मचारी या श्रमिक अपने मातृ संस्थान में बने रहते हैं, जिससे बार–बार होने वाली प्रशिक्षण लागत कम हो जाती है। साथ ही ये कुशल श्रमिक बल नई तकनीक और मशीनों के अनुकूल ढ़ल जाते हैं। सही कौशल के लिए सही व्यक्ति का चयन करने से उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद प्राप्त होते हैं, जो वैश्विक बाजार में उत्पाद को प्रतिस्पर्धी बनाकर अन्ततः देश के आर्थिक विकास में सहायता करते हैं। इस प्रकार श्रमिकों को नई तकनीक, कार्य–विधि तथा सुरक्षा प्रक्रियाओं के प्रशिक्षण से उनकी उत्पादकता बढ़ाकर देश को आजादी के शताब्दी वर्ष तक विकसित राष्ट्र बनाया जा सकता है।

3. प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता :

इससे प्रबंधन और श्रमिकों के मध्य बेहतर संचार तथा आपसी समझ से निर्णयन प्रक्रिया में पारदर्शिता आती है तथा औद्योगिक विवाद कम होते हैं। संगठन के प्रति श्रमिकों में अपनापन की भावना विकसित होती हैं तथा उच्च एवं गुणवत्तापूर्ण उत्पादकता के लिए निष्ठापूर्वक काम करते हैं। उनके मनोबल में स्वाभाविक वृद्धि होती है, जो उच्च दक्षता तथा उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करती है। समय, सामग्री एवं मशीन की कम बर्बादी तथा संसाधनों का अधिकतम उपयोग कर बेहतर उत्पाद निकलता है। औद्योगिक सम्बंध अच्छा होने के कारण हड़ताल, तालाबंदी, धरना, प्रदर्शन, गो–स्लो और पेन डाउन जैसी समस्याएँ कम उत्पन्न होती हैं तथा निरंतर उत्पादन होता रहता है। साथ ही श्रमिक वास्तविक समस्या के अनुकूल नई तकनीक अपनाने में नियोजक को सहयोग करते हैं, जिससे श्रमिकों एवं पूँजी की उत्पादकता में वृद्धि होती हैं तथा नियोजक एवं देश का आर्थिक विकास सुनिश्चित होता हैं।

4. उत्पादकता–शोध एवं नवाचार :

यह कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रों में उपलब्ध न्यूनतम संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग द्वारा उच्च उत्पादन (पैदावार) सुनिश्चित करने के लिए बेहतर तरीका है। कृषि क्षेत्र में शोध से प्राप्त उच्च उत्पादकता वाली उन्नत किस्मों के बीज, जैविक उर्वरक, प्राकृतिक कीटनाशक, पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान (हार्मोन–प्रेरित) से कृषि और पशुधन उत्पादकता में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई है। अनुसंधान आधारित परामर्श से उन्नत बीज, सिंचाई और कीटनाशकों का अनुकूलित प्रयोग लागत को कम तथा उत्पादन को बढ़ाता है। हरित क्रांति (नॉर्मन बोरलॉग) से उच्च उपज वाली तथा रोगप्रतिरोधी गेहूँ की किस्में विकसित की गई जो वैश्विक भूखमरी को रोकने और खाद्यान उत्पादन बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभाई। गेहूँ और चावल की उच्च उत्पादकता वाली किस्में भारतीयों को अकाल एवं भूखमरी से बचाकर भारतीय कृषि वैज्ञानिक डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन को भारत का वास्तविक नायक बना दिया जो भारत के इतिहास में सदा अमर रहेंगे। चुम्बकीय जल कंडिशनर जैसा अत्याधुनिक शोध लवणीय जल प्रभावित क्षेत्रों में फसल की उत्पादकता 25 प्रतिशत के लगभग बढ़ा दिया है, जो किसानों की आय में वृद्धि तथा देश के आर्थिक विकास में मील का पत्थर साबित होगा।

5. संस्थागत विकास :

संस्थागत विकास भौतिक पूँजी में वृद्धि के साथ–साथ मानव पूँजी (शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कौशल) में निवेश द्वारा श्रम–उत्पादकता को उच्च स्तर पर स्थायी रूप से ले जाता है। श्रमिकों हेतु नियमित प्रशिक्षण और कार्यशाला आयोजित कर उनके कौशल और कार्यक्षमता में वृद्धि करता है। उन्हें डिजिटल उपकरण, मशीनरी तथा सॉफ्टवेयर में पारंगत बनाकर उनका तकनीकी उन्नयन करता है। बेहतर प्रबंधन और अच्छी कार्य–संस्कृति के विकास से श्रमिकों का मनोबल बढ़ता है। कार्य–स्थल पर अच्छा प्रदर्शन करने वाले श्रमिकों को प्रोत्साहित और पुरस्कृत करता है तथा सही समय पर सही संसाधन उपलब्ध कराकर बाधारहित कार्य सम्पन्न कराता है, जिसके परिणाम स्वरूप श्रम–उत्पादकता में अप्रत्याशित वृद्धि होने से नियोजक एवं श्रमिक दोनों की आय में बढ़ोतरी होती है और अन्ततः देश का आर्थिक विकास तीव्र होता है। इस प्रकार संस्थागत विकास द्वारा शिक्षा एवं अनुसंधान में सुधार, भ्रष्टाचार में कमी, शासन व्यवस्था तथा उद्योगों के बीच बेहतर सामंजस्य स्थापित कर भारत को 2047 तक विकसित एवं आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाया जा सकता है।

6. विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में उत्पादकता शिक्षा :

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कौशल आधारित शिक्षा पर जोर देती है। कक्षा–6 से छात्र–छात्राओं को व्यावसायिक शिक्षा तथा इण्टर्नशिप प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य कम उम्र से ही व्यावसायिक कौशल, व्यावहारिक ज्ञान तथा रोजगार–उन्मुख शिक्षा द्वारा वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा हेतु कुशल कार्यबल तैयार करना है। उच्च शिक्षा संस्थानों में अनुसंधान तथा नवाचार को बढ़ावा देने से नए–नए विचारों, आधुनिक तकनीक तथा स्टार्टअप्स का

प्रचलन बढ़ा है। डिजिटल उपकरण तथा 21वीं सदी के कौशल से आईटी, विनिर्माण, फार्मा जैसे क्षेत्रों के उत्पादकता में आशातीत वृद्धि हुई है, जो भारत को आर्थिक रूप से अग्रणी राष्ट्र बना सकता है। विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में विद्यार्थी इण्टर्नशिप, व्यावहारिक ज्ञान तथा उद्यमशीलता का कौशल अर्जित कर जॉब सीकर की बजाय जॉब प्रोवाइडर बनते हैं, जो देश के आर्थिक विकास में सहायता करता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की मातृभाषा में शिक्षा का पहल और कृषि या तकनीकी शिक्षा पर जोर से ग्रामीण और शहरी कार्यबल की उत्पादकता में निरंतर सुधार दिख रहा है। इस प्रकार उत्पादकता शिक्षा नवयुवकों एवं नवयुवतियों में सैद्धांतिक ज्ञान के साथ–साथ उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि करता है, जिससे एक विकसित राष्ट्र के निमार्ण का मार्ग प्रशस्त होता है।

7. उत्पादकता–सूचना का प्रसार :

उत्पादकता सम्बंधी सूचना का प्रसार कृषि तथा देश के विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान देता है। आजकल मौसम तथा फसलों के बाजार–भाव की जानकारी किसानों को घर बैठे मोबाइल फोन, टेलिविजन तथा अन्य माध्यमों से मिल जाती है। प्राप्त जानकारी के अनुरूप वे कम अपव्यय तथा अधिक उत्पादकता वाली फसलों का चयन करते हैं तथा उत्पाद को सही समय एवं समुचित मूल्य पर बेचते हैं। कृत्रिम बुद्धिमता जैसे आधुनिक तकनीक एवं उन्नत उत्पादन विधियों के विषय में जानकारी का प्रसार कृषि एवं औद्योगिक श्रमिकों की कार्यकुशलता और कार्यक्षमता में अच्छी वृद्धि करता है। साथ ही डिजिटल साक्षरता और समावेशी विकास से ग्रामीण और शहरी श्रमिकों के बीच डिजिटल अन्तर कम होता है। भारत जैसे विकासशील देश में आईटी उद्योग का विस्तार सूचना के प्रसार के कारण ही संभव हुआ है जो वैश्विक गलाकाट प्रतिस्पर्द्धा में भारत की स्थित को मजबूत किया है। इस प्रकार सही समय पर सही सूचना का प्रसार कृषि तथा औद्योगिक उत्पादकता को बढ़ाकर एवं संसाधनों के अपव्यय को कम करके देश के विकास को प्रशस्त करता है।

8. कार्य का बेहतर नियोजन :

कार्य के बेहतर नियोजन से उत्पादन लागत में कमी तथा संसाधनों के इष्टतम उपयोग में वृद्धि होती है। साथ ही प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के माध्यम से श्रमबल की कार्यक्षमता एवं कुशलता को बढ़ाकर उत्पाद या सेवा की गुणवत्ता में सुधार किया जाता हैं। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया तथा औद्योगिक कॉरिडोर से श्रमिकों की दक्षता बढ़ती है, जिससे प्रति श्रमिक उत्पादन में वृद्धि होती है तथा उच्च गुणवत्ता वाले सस्ते उत्पादों से वैश्विक बाजार में भारत की निर्यात क्षमता मजबूत होती है। साथ ही बेहतर नियोजन से कृषि, विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं, जिससे भारत को पर्यावरण अनुकूल विकास में सहयोग मिलता है।

9. कार्यस्थल का वातावरण :

स्वस्थ, सुरक्षित तथा तकनीकी रूप से उन्नत कार्यस्थल का सहयोगी वातावरण प्रत्यक्ष रूप से श्रम–उत्पादकता तथा जी.डी.पी में वृद्धि के साथ एक विकसित और मजबूत राष्ट्र का निर्माण करता है। श्रमिकों की कार्यक्षमता में वृद्धि से अपव्यय रहित कम इनपुट से अधिक आउटपुट (उत्पादन) होता है। 21वीं सदी की तकनीक (एआई एवं डिजिटल टूल्स) के प्रयोग से उत्पादन प्रक्रिया सरल एवं आसान हो जाती है तथा कौशल भारत मिशन जैसे पहल से उद्योगों को कुशल जनशक्ति मिलती है, जिससे उत्पादकता और कार्यक्षमता में सुधार होता है। कार्यस्थल पर उचित वेतनमान तथा सुरक्षित वातावरण के निर्माण से औद्योगिक शांति तथा श्रमिकों को आर्थिक स्थिरता प्राप्त होती हैं, जिससे अभिप्रेरित होकर वे बेहतर प्रर्दशन तथा उच्च उत्पादकता हासिल करते है, जो देश के आर्थिक विकास का आधार है।

10. आर्थिक प्रोत्साहन और बोनस :

वित्तीय प्रोत्साहन और बोनस श्रमिकों को मेहनत, लगन और कुशलता से कार्य करके कम समय में अधिक गुणवत्तापूर्ण उत्पादन के लिए अभिप्रेरित करते हैं। अधिक उत्पादकता से विनिर्माण क्षमता और मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा मिलता है, जो स्थानीय लघु एवं मध्यम उद्योगों को प्रतिस्पर्द्धी बनाकर भारत को वैश्विक स्तर पर विनिर्माण केन्द्र के रूप में स्थापित करती है। लघु एवं मध्यम उद्योगों तथा नए स्टार्टअप्स के बढ़ने से रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं जिससे श्रमिकों के जीवन–स्तर में सुधार होता है तथा आर्थिक विकास के प्रमुख चालक मध्यम–वर्ग की क्रय शक्ति में वृद्धि होती है। वित्तीय प्रोत्साहन और बोनस श्रमिकों को नई तकनीक के अधिगम तथा कौशल विकास हेतु प्रेरित करते हैं, जो मानव पूँजी को कुशल बनाकर उत्पादकता को बढ़ाता है। गुणवत्तापूर्ण उच्च उत्पादकता के कारण सस्ते भारतीय उत्पाद वैश्विक बाजार में बेहतर प्रदर्शन करते हैं और भारत का निर्यात बढ़ता है। वित्तीय प्रोत्साहन और बोनस अन्ततः श्रमिकों की उत्पादकता एवं जीडीपी में वृद्धि करके भारत को आजादी के शताब्दी वर्ष तक विकसित राष्ट्र बनाने में प्रमुख योगदान कर सकते हैं।

भारत के आर्थिक विकास में श्रमिकों का योगदान :

श्रमिकों को देश के आर्थिक विकास का आधार–स्तंभ कहा जाता है। ये उत्पादन के निष्क्रिय साधनों को सक्रिय कर कृषि, उद्योग तथा सेवा क्षेत्र का विकास सुनिश्चित करते हैं। श्रमिक ही कच्चे माल से उत्पाद बनाकर उसका मूल्य वर्द्धित करते हैं। वर्तमान में देश का 60.7 करोड़ श्रमबल भारत की आर्थिक समृद्धि का प्रमुख इंजन हैं, जो कृषि, उद्योग तथा सेवा क्षेत्र से लेकर डिजिटल अर्थव्यवस्था तक अपने योगदान से भारत को आत्मनिर्भर तथा विकसित राष्ट्र बनाने में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। कृषि श्रमिक (महिला सहित) अपनी गरीबी, कम मजदूरी तथा मौसमी बेरोजगारी के बावजूद कृषि उत्पादन में भारत को विश्व में चीन के बाद द्वितीय स्थान पर लाकर खड़ा कर दिए हैं, जो देश के कुल सकल घरेलू उत्पाद में 17.7 प्रतिशत का योगदान करता है तथा लगभग 146 करोड़ लोगों को खाद्य सुरक्षा देकर अकाल और भूखमरी से बचाते हैं। उद्योग और विनिर्माण क्षेत्र में अपने परिश्रम और लगन से देश के आधारभूत संरचना को मजबूत करने के साथ–साथ देश के आर्थिक विकास में 27 प्रतिशत का योगदान तथा सेवा क्षेत्र (बैकिंग, स्वास्थ, शिक्षा, आईटी) एवं गिग इकोनॉमी के द्वारा देश के कुल सकल घरेलू उत्पाद में 55 प्रतिशत से अधिक का योगदान कर रहे हैं। वर्तमान में गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों की संख्या और जी.डी.पी में इनका योगदान लगातार बढ़ रहा है। लगभग 1.56 करोड़ महिलाएँ भारत के औपचारिक श्रमबल में सम्मिलित होकर समावेशी विकास को तेज कर रही हैं जो महिला सशक्तिकरण का परिचायक भी है। श्रम सुधार के तहत भारत सरकार ने कुल 29 केन्द्रीय श्रम कानूनों को सिर्फ 4 श्रम संहिताओं में एकीकृत कर मजदूरी, औद्योगिक सम्बंध, सामाजिक सुरक्षा और कार्यस्थल की सुरक्षा को सुनिश्चित करने का प्रयास किया है, ताकि देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ भारतीय श्रमिक ही विकास की मुख्यधारा से पीछे न छूट जाएँ। 60.7 करोड़ से अधिक श्रमबल या कार्यबल देश के बुनियादी संरचना के निर्माण, कृषि तथा 387 बिलियन डॉलर के सेवा निर्यात में महत्त्वपूर्ण योगदान देकर भारत को विकास के शिखर पर पहुँचाने के लिए कटिबद्ध हैं।

भारतीय श्रमिकों के लिए भविष्य की संभावनाएँ :

श्रमशक्ति के मामले में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है। यहाँ कुल श्रमशक्ति की वर्तमान संख्या 60.7 करोड़ है, जिनके भविष्य की संभावनाएँ डिजिटल तकनीकी कौशल, औपचारिक क्षेत्रक, सामाजिक सुरक्षा तथा नई श्रम संहिताओं के इर्द–गिर्द केंद्रित रहेंगी। प्रौद्योगिकी संचालित कृषि, उद्योग तथा सेवा क्षेत्रों में डिजिटल तकनीकी कौशल वाले कार्यबल का भविष्य उत्साहवर्द्धक तथा सुनहरा अवसर लेकर आने वाला है। सॉफ्ट स्किल्स, संचार कौशल, क्रिटिकल थिंकिंग, समस्या समाधान कौशल, डिजिटल लिटरेसी, तकनीकी कौशल जैसे कैरियर स्किल्स पेशेवरों को भविष्य में प्रासंगिक बने रहने अथवा नया कैरियर तलाशने में सहायता करेंगे।

अनौपचारिक क्षेत्र में श्रमिकों की एक बड़ी संख्या अभी भी कार्यरत है, जिनके लिए औपचारिक क्षेत्र में नौकरियाँ सृजित करना तथा कौशल के अनुरूप उन्हें रोजगार उपलब्ध कराना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। औपचारिक क्षेत्र में श्रमिकों को श्रम कानूनों का संरक्षण प्राप्त होता है तथा इस क्षेत्र के श्रमिक अपने अधिकारों के प्रति संवेदनशील और जागरूक होते हैं, जिसके कारण उनका शोषण अपेक्षाकृत कम होता है। कई सर्वेक्षणों एवं अध्ययनों के अनुसार अनौपचारिक की तुलना में औपचारिक क्षेत्र में कामगारों का वेतन अधिक और स्थिर है, जिसके कारण उनकी क्रय शक्ति भी अधिक है। भविष्य में उच्च वेतनमान वाले तकनीकी और कौशल आधारित नौकरियाँ औपचारिक क्षेत्र में उपलब्ध होंगी, जिसमें कुशल श्रमिकों के लिए उत्साहवर्द्धक तथा सुनहरा अवसर विद्यामान रहेगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म आजकल अनौपचारिक कार्यों को संगठित, सुरक्षित तथा औपचारिक बना रहा है जिसमें मुख्य रूप से गिग वर्कर्स तथा प्लेटफॉर्म वर्कर्स शामिल हैं। साथ ही भारत सरकार द्वारा 21 अक्टूबर 2024 को वन–स्टॉप–सॉल्यूशन के रूप में ई–श्रम पोर्टल लंच कर एक साथ कई कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने हेतु प्रवासी श्रमिक, निर्माण–कार्य में लगे श्रमिक, घरेलू कामगार तथा रेहड़–पटरी वालों का औपचारिकीकरण किया जा रहा है। इससे इन श्रमिकों को भी श्रम संहिताओं का संरक्षण मिल जाएगा।

श्री रवीन्द्र वर्मा की अध्यक्षता वाली द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग की अनुशंसा पर भारत सरकार द्वारा 29 पुराने केन्द्रीय श्रम कानूनों को 04 सरल, प्रगतिशील एवं अत्याधुनिक श्रम संहिताओं में संकलित किया गया है। यह श्रम संहिता (21 नवम्बर 2025 को लागू) श्रमिकों के लिए बड़ा उत्साहवर्धक तथा सुनहरा अवसर और सुरक्षा प्रदान करती है। ई–श्रम पोर्टल पर 31 करोड़ से अधिक पंजीकृत श्रमिकों के लिए रोजगार के नए अवसर औपचारिक क्षेत्र में सृजित होंगे। अब 16 वर्ष से अधिक आयु के गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स भी ई–श्रम पोर्टल पर पंजीकृत होकर सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ एवं श्रम संहिताओं का संरक्षण प्राप्त करने का हकदार बन जाएँगे। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को भी नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड के माध्यम से मुख्यधारा में लाया जाएगा। महिलाओं को सुरक्षा और समान वेतन के साथ नाइट शिफ्ट (रात्री पाली) में काम करने की अनुमति दी गई है ताकि महिला रोजगार में वृद्धि हो सके। इसमें नियमों को सरल बनाकर कम्पनियों के लिए अनुपालन आसान किया गया है ताकि वहाँ अधिकाधिक औपचारिक नौकरियों का सृजन हो सके। साथ ही 5 वर्ष की जगह अब सिर्फ एक वर्ष की सेवा के बाद ग्रेच्युटी की सुविधा मिल जाएगी और ओवरटाइम (अतिकाल) के लिए दुगुना मजदूरी मिलने से श्रमिकों की आय में बढ़ोतरी होगी। इस प्रकार श्रमिकों के कल्याण में सुधार के साथ–साथ उन्हें सुरक्षित और न्यायपूर्ण कार्य–दशाएँ प्राप्त होंगी जिससे उनका दीर्घकालिक आर्थिक विकास होगा। सामाजिक सुरक्षा

के अन्तर्गत सभी कोटि के श्रमिकों के लिए ESIC (कर्मचारी राज्य बीमा कॉर्पोरेशन), पीएफ और पेंशन लाभ, चिकित्सा सुविधा और स्वास्थ्य बीमा, महिला श्रमिकों को प्रथम दो जीवित संतानों के जन्म पर 26 सप्ताह तथा तीसरे बच्चे से 12 सप्ताह का सवेतन अवकाश और 3500 मेडिकल बोनस मिलेगा। निश्चित अवधि के कर्मचारियों (श्रमिकों) को भी अब एक साल की सेवा के बाद ग्रेच्युटी का लाभ, सभी कोटि के श्रमिकों के वैधानिक न्यूनतम मजदूरी का समय पर भुगतान, गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के बीमा और सुरक्षा हेतु एग्रीगेटर्स से अपने टर्नओवर का 1–2 प्रतिशत श्रमिक कल्याण कोष में जमा कराया जाएगा। इन सुधारों का मूल उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को संगठित क्षेत्र की तरह ही सभी सामाजिक सुरक्षा सुविधाएँ प्रदान कर उनके जीवन–स्तर को बेहतर बनाना है।

निष्कर्ष : भारतीय अर्थव्यवस्था को दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में श्रमिकों की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। देश की आर्थिक प्रगति श्रमबल की कार्यक्षमता, कौशल एवं उत्पादकता पर निर्भर करती है। 60.7 करोड़ से अधिक भारतीय श्रमबल कृषि, उद्योग, निर्माण, परिवहन तथा सेवा क्षेत्र के विकास में प्रमुख योगदान दे रहे हैं। ये अपने परिश्रम से उत्पादन के साथ–साथ राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि करते हैं। भारी उद्योग से लेकर बड़ी–बड़ी इमारतें, सड़क, पुल तथा अन्य आधारभूत संरचनाएँ इन्हीं श्रमिकों के मेहनत के प्रतिफल हैं, जिन्हें विकास का आधारशिला माना जाता है। इसके बावजूद भारतीय श्रमिकों को कम मजदूरी, असुरक्षित कार्य की दशाएँ, सामाजिक सुरक्षा की कमी, कौशल विकास एवं प्रशिक्षण का अभाव तथा पलायन जैसी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इनको समुचित रोजगार के अवसर, शिक्षा, प्रशिक्षण, कौशल विकास, सामाजिक सुरक्षा, कल्याण सुविधाएँ, उचित मजदूरी तथा कार्य स्थल पर सुरक्षा प्रदान करने से इनके मनोबल, कार्य–संतुष्टि तथा उत्पादकता में वृद्धि होगी जिससे देश का आर्थिक विकास तेज होगा, क्योंकि संतुष्ट और सशक्त श्रमिक ही देश की अर्थव्यवस्था को स्थाई और समावेशी विकास की दिशा में अग्रसर कर सकते हैं।

सुझाव :

- भारतीय श्रमिकों को आधुनिक तकनीक और 21वीं सदी के कौशलों का प्रशिक्षण देकर उनकी उत्पादकता बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके लिए सरकार एवं निजी क्षेत्र को ''सार्वजनिक–निजी भागीदारी '' से कौशल विकास कार्यक्रमों को चलाना होगा।
- श्रमिकों को कार्य के अनुरूप न्यायसंगत–उचित मजदूरी के साथ–साथ उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए स्वास्थ्य बीमा, पेंशन, दुर्घटना बीमा, परिवहन सुविधा, बच्चों की मुफ्त शिक्षा तथा ग्रेच्यूटी जैसी सामाजिक सुरक्षा सुविधाएँ प्रदान करनी होगी
- कार्य स्थल का वातावरण स्वच्छ और सुरक्षित बनाना होगा। श्रमिकों को सुरक्षित उपकरण और स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराकर जोखिम को शून्य करना होगा।
- श्रम संहिताओं का प्रभावी कार्यांवयन तथा निगरानी द्वारा श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करनी होगी। साथ ही श्रमसंघों को मजबूत करना होगा ताकि उनकी आवाज को नजर अंदाज नहीं किया जा सके।
- ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर तथा लघु उद्योगों के साथ–साथ भारी उद्योगों को भी बढ़ावा देना होगा ताकि रोजगार के अतिरिक्त अवसर का सृजन कर श्रमिकों के पलायन को कम तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सके। भारतीय श्रमिक देश की आर्थिक प्रगति के आधार–स्तम्भ हैं। उनके जीवन स्तर में सुधार और रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने से वे भारत को एक समृद्ध तथा शक्तिशाली राष्ट्र बनाने में प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं।

संदर्भ–सूची

1. सिन्हा, वी. सी. (1998), श्रम अर्थशास्त्र, मयूर पेपरबैक्स प्रकाशन, नोएडा, पृष्ठ संख्या :20–26 एवं 139–159
2. सिन्हा, जी. पी. (1987), श्रम अर्थशास्त्र की भूमिका, एस. चन्द एण्ड कम्पनी (प्रा) लि.,नई दिल्ली, पृष्ठ संख्याः1–20 एवं 99–108
3. सक्सेना, एस. सी. (1998), श्रम समस्याएँ एवं सामाजिक सुरक्षा, रस्तोगी पब्लिकेशन्स, शिवाजी रोड, मेरठ, पृष्ठ संख्याः 49–70, 197–210 एवं 446–458
4. कुमार, एन. (2014) लेबर इकोनॉमिक्स, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल प्रकाशन, आगरा, पृष्ठ संख्याः 01–44 एवं 212–223
5. आहूजा, राम (2004), सामाजिक समस्याएँ, रावत पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, पृष्ठ संख्याः 433–451
6. सुलेमान, मुहम्मद और कुमार, दिनेश (2006), संगठनात्मक व्यवहार, पृष्ठ संख्याः 203–223
7. सिन्हा, पी. आर. एन. (2007), श्रम एवं समाज कल्याण, भारती भवन पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, पटना, पृष्ठ संख्याः 315–332 एवं 386–409
8. तिवारी ,पंकज कुमार (2019), औद्योगिक सम्बंध, श्रम संघवाद एवं सामाजिक समस्याएँ, प्रतियोगिता संदर्भ पब्लिकेशंस, पटना, पृष्ठ संख्याः 162–254 एवं 285–300
9. भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट :
10. http://labour.gov.in

11- http://eshram.gov.in

12. http://shramsuvidha.gov.in